प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 09 जुलाई, 2021*

विषय:- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वी जयन्ती के दिनांक 02.10.2019 के अवसर पर भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देश दिनांक 07.08.2018 के प्रस्तर-3(**C**) में निहित शर्तो के अन्तर्गत जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी कुंवरपाल पुत्र श्री भरतू, निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14718/प्रोवेशन-6/143/महात्मा गांधी पार्ट-II, दिनांक 22.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सीमित सजा से दण्डित बन्दियों की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वी जयन्ती के अवसर पर जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी कुंवरपाल पुत्र श्री भरतू, निवासी-ग्राम पाण्डोखेडी, थाना-नानौता, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। बंदी द्वारा पृतक जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 01.10.1983 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा, तबल एवं लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-278/1986, भा0द0वि धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनुपर के आदेश दिनांक 16.09.1988 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2014 यथावत रखा गया है, उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में क्रिमिनल अपील संख्या-1830/2017 भरतू व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-879/2015 भरतू व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य योजित की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2017 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा की धारा-302 आई0पी0सी0 को 304 भाग-2 आई0पी0सी0 में परिवर्तित करते हुए 07 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक 04 वर्ष 11 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 03 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, समान्य जेल आचरण एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु प्रकरण में द्वारा कारित घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रिहा होने की स्थिति में समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, के सम्बन्ध में पुन: परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर से प्राप्त आख्या में अंकित किया गया है कि सिद्धदोष बंदी को समयपूर्व रिहा करने पर पीड़ित/मृतक पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष के मध्य रंजिश होने के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण पीड़ित/मृतक पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष आपस में लड़-झगड़कर शांति भंग/अप्रिय घटना कारित कर सकते है, जिसमें गांव की कानून व्यवस्था प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। उक्त के दृष्टिगत श्री राज्यपाल द्वारा प्रश्नगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- अत: रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-7108/2020 कुंवरपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.02.2021 एवं अवमानना याचिका संख्या-1679/2021 कुँवरपाल सिंह बनाम अपर मुख्य सचिव, गृह व कारागार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.06.2021 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी कुंवरपाल (बन्दी संख्या-1310/2015) पुत्र श्री भरतू, निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-111/2021/1232(1)/22-2-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सहारनपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।

3- श्री रवि कुमार पुत्र कुँवरपाल, निवासी पाण्डोंखेड़ी थाना नानौता, जनपद-सहारनुपर हाल पता म0नं0-930 सेक्टर 19 पंचकुला हरियाणा को उनके पत्र दिनांक 05.08.2019 एवं दिनांक 06.01.2020 के सन्दर्भ में।

4- श्री शिव कुमार पाल, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-Cr3643/GA /HC/ALLD दिनांक 02.02.2021 के सन्दर्भ में।

5- श्री के0आर0 सिंह, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-F 455 दिनांक 24.06.2021 के सन्दर्भ में।

6- उप महानिरीक्षक कारागार प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज।

7- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-7108/2020 कुंवरपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.02.2021 एवं अवमानना याचिका संख्या-1679/2021 कुँवरपाल सिंह बनाम अपर मुख्य सचिव, गृह व कारागार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.06.2021 के अनुपालन में उपरोक्त वस्तुस्थिति से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अवगत कराने हेतु प्रेषित।

8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in